मध्य प्रदेश के रीवा जिले की मलिन बस्तियों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याओं का अध्ययन

डॉ.राजेंद्र प्रसाद,

सहायक प्राध्यापक अग्रवाल कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन बल्लबगढ़,

फरीदाबाद,हरियाणा

प्रारंभिक शिक्षा पूरी शिक्षा प्रक्रिया का आधार है जिसे बालकों के व्यक्तित्वरूपी भवन निर्माण में नींव का स्थान दिया गया है। इस प्रकार इस अध्ययन का विशेङ्ख महत्व है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही प्रारंभिक शिक्षा के विकास एवं गुणात्मक सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए। लेकिन इसके अपेक्षित प्रभाव आज तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले की मलिन बस्तियों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन के लिए प्रासंगिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा 80 अभिभावकों, 40 शिक्षकों तथा 20 अधिकारियों को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है। प्रदत्तों के संकलन हेतु स्वनिर्मित पश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेङ्खण हेतु प्रतिशत का प्रयोग किया गया। परिणामों की व्याख्या से स्पष्ट हुआ कि अभिभावकों के समक्ष व्यक्तिगत, आर्थिक एवं विद्यालयी समस्याएँ, शिक्षकों के समक्ष अपव्यय अवरोधन, प्रशासनिक नीतियाँ, संसाधनों तथा अधिकारियों के समक्ष वित्त योजनाओं के क्रियान्वयन, अभिभावकों की उदासीनता और राजनीतिक समस्याएँ हैं। इन सभी समस्याओं के कारण थे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक। प्रस्तुत शोधपत्र में शोधार्थी द्वारा इन्हीं समस्याओं, उनके कारणों को जानने तथा उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संचालित योजनाओं की उपयोगिता बढाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तावना–

प्रत्येक राष्ट्रीय जीवन के लिए प्रारंभिक शिक्षा वह प्रथम वरूतु है जिसकी सफलता प्राप्ति द्वारा ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ट संबंध प्रारंभिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक और उच्च शिक्षा का नहीं है। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र निर्माण करने में सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में प्रारंभिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि इसका संबंध किसी विशेङ्ख व्यक्ति वर्ग या समुदाय से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आधारभूत लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही रहा है।संविधान के भाग 4 अनुच्छेद–41 में प्रत्येक राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा में रहकर शिक्षा प्राप्ति के अधिकार को प्रभावी बनाना और इसी भाग के अनुच्छेद–45 में प्रत्येक राज्य को संविधान लागू होने के दस वङ्र्षों के अंदर 14 वङ्र्ष तक के बालक–बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने को कहा गया है।

सबंधित साहित्य का अध्ययन सबंधित साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात निम्नलिखित निष्कङ्ख प्राप्त हाते हैं–

यादव अनिल कुमार एवं श्रीवास्तव मधु (2002) ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रारंभिक स्तर पर सार्वभौमिकरण हेत, सुविधाएँ प्रदान करना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि धारण की समस्या से निपटने के लिए प्रभावकारी कार्ययोजनाओं का निर्माण करना भी अति आवश्यक है। एडेएमो (2004) ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रारंभिक विद्यालयों में प्रबंधन का स्तर अत्यंत ही निम्न व अप्रभावशाली है। देवराज एवं अन्य (2005) ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षकों को उन बच्चों की ओर विशेङ्ख ध्यान देना चाहिए जिनका अधिगम स्तर कम है। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन (2006) ने अपने अध्ययन में पाया कि बच्चों में विद्यालय से ड्राप आउट के लिए शिक्षकों की अनुपस्थिति व समय पर न आना भी जिम्मेदार कारक के रूप में है। मेहता

(2008) ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रारंभिक स्तर पर ड्राप आउट अधिक था। इसको रोके बिना प्रारंभिक स्तर पर सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्लान इंडिया (2009) ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षकों का छात्रों के प्रति व्यवहार अच्छा न होना, अभद्र भाङ्गा का प्रयोग करना, शारीरिक दण्ड देना, विद्यालय का अधिक दूर होना, खेल–कूद के साधनों का अभाव, घरेलू कार्य का बोझ होना, बालिकाओं से घर व छोटे बच्चों की देखभाल कराना,तथा बालकों का पशुओं को चारागाह में चराने ले जाना आदि विभिन्न कारक बच्चों को विद्यालय से दूर रखने के लिए जिम्मेदार हैं। अब्बी व गोविन्दा (2011) ने छात्रों के अधिगम स्तर, नामाँकन व ड्राप आउट से संबंधित अध्ययन किया जिसमें पाया गया कि छात्रों का नामांकन बढ रहा है लेकिन उपस्थिति मं कमी आयी है। निजो ट्यूशन पर निर्भरता बढी है, पढने व गणितीय योग्यता में अवनति हुई है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण न हो पाने के अनेक कारक उत्तरदायी हैं जिसमें अभी और कार्य किया जाना आवश्यक है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

किसो भी सफल लोकतंत्र का आधार शिक्षा व शिक्षित नागरिक होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के अभाव में देश का सामान्य नागरिक न तो अपने अधिकारों का समझता ह और न ही उत्तरदायित्वों को। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है।

प्रारंभिक शिक्षा में अवसरों की समानता यथा जाति, लैंगिक, क्षेत्र एवं अर्थ आधारित पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त अवसरों की समानता सुनिश्चित करने की स्वीकारता मिली है लेकिन फिर भी क्या कारण है कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जन–जन तक पहुँचाने और प्रत्येक वर्ग को अवसरों की समानता उपलब्ध कराने का लक्ष्य 68 वर्ङ्गों के प्रयासों क बाद भी भारत इस प्राप्ति की ओर नहीं बढ पा रहा है। लगातार प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में मिल रही विफलता ने शोधार्थी का ध्यान इस ओर आकर्ङ्गित किया।

शोध समस्या का **कथन**

''मध्य प्रदेश के रीवा जिले की मलिन बस्तियों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याओं का अध्ययन''

शोध शब्दों का सक्रियात्मक परिभाङ्गीकरण

मलिन बस्तियाँ– शहरों व नगरों के किनारे बसी हुई ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर जर्जर आवास व्यवस्था और गंदगीयुक्त वातावरण पाया जाता है। जहाँ पर झोंपडियाँ, कच्चे बाँसों व टीन के सेड आदि निर्मित मकान पाए जाते हैं। खुली नालियाँ और कूडे–कचरे के ढेर अधिकांशतः पाए जाते हैं।

प्रारंभिक शिक्षा– हमारे देश की शिक्षा प्रणाली के तीन स्तर क्रमशः प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा हैं। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में कक्षा प्रथम से आठवीं तक शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक–बालिकाओं को सम्मिलित किया जाता है।

सार्वभौमिकरण

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य है कि 6 से 14 वर्ङ्ग तक प्रत्यक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके और उन सभी को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बालक–बालिका इस शिक्षा से वंचित न रहे।

अध्ययन के उद्देश्य

1. रीवा जिले की मलिन बस्तियों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
2. समस्याओं के कारणों को जानने का प्रयास करना।
3. कारणों के समाधान हेतु सुझाव देना।

4. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में प्रोत्साहन योजनाओं को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु रूपरेखा तैयार करना।

परिकल्पना

मलिन बस्तियों में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण संतोङ्जनक नहीं है।

शोध अध्ययन का सीमांकन

1. प्रस्तुत शोध केवल रीवा जिले का किया गया है।
2. प्रस्तुत शोध में रीवा जिले की केवल मलिन बस्तियों को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध समस्या की विङ्य वस्तु की प्रकृति वर्णनात्मक अनुसंधान की है। इसलिए इस शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में रीवा जिले की मलिन बस्तियों के परिवारों को जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है।

न्यादर्श चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु प्रासंगिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा रीवा जिले की मलिन बस्तियों के 80 परिवारों का चयन का किया गया जिनके बच्चे विद्यालय नहीं जाते या विद्यालय छोड चुके हैं और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित 40 शिक्षकों और 20 अधिकारियों को चयनित किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध के अध्ययन मं उद्देश्यों की पूर्ति एवं परिकल्पना सत्यापन हेतु आवश्यक तथ्यों, आँकडों एवं सूचनाओं के संकलन के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली व साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेङ्ण परिणाम एवं व्याख्या

प्रदत्तों को संकलित करने के उपरान्त उद्देश्य अनुसार उनका विश्लेङ्ण एवं व्याख्या की गई जो कि निम्नवत् है।

उद्देश्य 1 – रीवा जिले की मलिन बस्तियों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शोधार्थी ने अभिभावकों, शिक्षकों और अधिकारियों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से समस्याओं को ज्ञात किया जिसका विवरण निम्न है।

अभिभावकों द्वारा ज्ञात समस्याएँ

क्रम संख्या	व्यक्तिगत समस्याएँ	अभिभावकों की संख्या (40)	प्रतिशत
1	पारिवारिक समस्याएँ	20	25
2	बालकों को किसी व्यावसायिक कार्य में लगाना	11	13.75
3	परिवारिक अशान्ति, अव्यवस्था एवं कलह	9	11.25
4	घरेलू कार्यों के कारण विद्यालय न भेजना	15	18.75
5	घर के बडे बच्चों का छोटे बच्चों की देखभाल की निम्मेदारी सौपना	11	13.75
6	संसाधनों की कमी	9	11.25
7	घर से विद्यालय की अधिक दूरी	5	6.25

	आर्थिक समस्याएँ		
1	निम्न आर्थिक स्तर	35	4.75
2	सभी बालकों हेतु शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता	17	21.25
3	ब्रोजगारी	13	16.25
4	ग्रीबी	15	18.75
	विद्यालयी समस्याएँ		
1	सरकारी विद्यालयों का अभाव	5	6.25
2	बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था न होना	10	12.5
3	विद्यालय में पढाई न होना	18	22.5
4	शिक्षकों का नकारात्मक रवैया	19	23.75
5	शिक्षकों की उचित व्यवस्था न होना	8	10.00
6	प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की कमी	6	7.50
7	शिक्षकों का अनियमित होना	14	17.50

परिणाम

उर्पयुक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अभिभावकों की व्यक्तिगत, आर्थिक और विद्यालयी समस्याएँ हैं जिनके कारण प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा है। व्यक्तिगत समस्याओं में 25 प्रतिशत पारिवारिक समस्याएँ, 13.75 प्रतिशत बालकों को किसी व्यावसायिक कार्य में लगाना, 11.25 प्रतिशत पारिवारिक अशान्ति, अव्यवस्था एवं कलह, 18.75 प्रतिशत घरेलू कार्य के कारण विद्यालय न भेजना, 13.75 प्रतिशत घर के बडे बच्चों का छोटे बच्चों की देखभाल में लगाए रखना, 11.25 प्रतिशत संसाधनों की कमी होना, 6.25 प्रतिशत घर से विद्यालय की अधिक दूर होना बताया गया है। आर्थिक समस्याओं में 43.75 प्रतिशत निम्न आर्थिक स्तर का होना, 21.25 प्रतिशत सभी बालकों हतु शिक्षण सामग्री की व्यवस्था न कर पाना, 16.25 प्रतिशत बेरोजगारी का होना और 18.75 प्रतिशत गरीबी की समस्या सामने आई है। विद्यालयी समस्याओं के अन्तगत 6.25 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों का अभाव, 12.5 प्रतिशत बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था न होना, 22.5 प्रतिशत विद्यालयों में पढाई न होना, 23.75 प्रतिशत शिक्षकों का नकारात्मक रवैया, 10 प्रतिशत शिक्षकों की उचित व्यवस्था न होना, 7.5 प्रतिशत प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की कमी और 17.75 प्रतिशत शिक्षकों का अनियमित का होना बताया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त सभी समस्याएँ किसी न किसी रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं।

शिक्षकों व अधिकारियों द्वारा ज्ञात समस्याएँ

क्रम संख्या	समस्याएँ	शिक्षकों की संख्या (40)	प्रतिशत
1	अपव्यय व अवरोधन की समस्या	12	30%
2	प्रशासनिक नीतियों का सही क्रियान्वयन न होना	5	12.5%

3	बालिकाओं की शिक्षा में अवरोध	12	30%
4	आवश्यक संसाधनों की कमी	5	12.5%
5	कक्षा शिक्षण सामग्री का अभाव	6	15%
क्रम संख्या	समस्याएँ	अधिकारियों की संख्या (20)	प्रतिशत
1	वित्त संबंधी समस्या	6	30
2	बजट संबंधी समस्या	5	25
3	योजनाओं का क्रियान्वयन न हो पाना	4	20
4	राजनीतिक हस्तक्षेप	2	10
5	अभिभावकों का जागरूक न होना	3	15

परिणाम– उर्पयुक्त तालिका द्वारा शिक्षकों व अधिकारियों द्वारा ज्ञात समस्याओं को ज्ञात किया गया जिसमें 30 प्रतिशत शिक्षकों ने अपव्यय व अवरोधन, 12ण्5ः ने प्रशासनिक नीतियों का सही क्रियान्वयन न होना, 30ः ने बालिकाओं की शिक्षा में अवरोध, 12ण्5ः ने आवश्यक संसाधनों की कमी तथा 15ः ने कक्षा शिक्षण सामग्री का अभाव बताया है। अधिकारियों ने 30 प्रतिशत ने वित्त संबंधी समस्या, 25 प्रतिशत ने बजट संबंधी समस्या, 20 प्रतिशत ने योजनाओं का क्रियान्वयन न हो पाना, 10 प्रतिशत ने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा 15 प्रतिशत ने अभिभावकों में जागरूकता का अभाव बताया।

अतः स्पष्ट है कि समय–समय पर चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संचालन के उपरान्त भी आज तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो सका जिसमें उक्त समस्याएँ अब भी विद्यमान हैं।

उद्देश्य 2 – समस्याओं के कारणों को जानने का प्रयास

इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए शोधार्थी द्वारा शिक्षकों व अधिकारियों से कारणों को जानने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप विभिन्न कारण ज्ञात हुए निसका वर्णन निम्न प्रकार से है।

	शैक्षिक कारण	शिक्षकों की संख्या (40)	प्रतिशत
1	अनुपयुक्त पाठ्यक्रम	8	20
2	अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ	8	20
3	सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव	10	25
4	दोङ्घपूर्ण शिक्षा प्रणाली	6	15
5	कक्षा में अधिक छात्रों का होना	5	12.5
6	कक्षा के छात्रों की आयु में विङ्घमता होना	3	7.5

आर्थिक कारण

1	निर्धनता के कारण छात्रों के पास पुस्तकों व अन्य अध्ययन सामग्री का अभाव होना	11	27.5
2	घरेलू कार्यों के कारण पढाई के लिए समय न मिलना	12	30
3	निम्न आर्थिक स्तर के कारण शैक्षिक वातावरण न मिल पाना	17	42.5

सामाजिक कारण

1	अभिभावकों की निरक्षता	10	25
2	माता–पिता द्वारा शिक्षा के महत्व को न जानना	8	20
3	जागरूकता की कमी	9	22.5

4	बाल विवाह	4	10
5	सहशिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण	3	7.5
6	सामाजिक रूढिवादिता	6	15

प्रशासनिक कारण

1	राज्य की दोङ्घपूर्ण शिक्षा नीतियाँ	10	25
2	प्रारंभिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी	9	22.5
3	उचित निरीक्षण का अभाव	13	32.5
4	प्रारंभिक विद्यालयों की अवैज्ञानिक ढंग से स्थापना	8	20

अधिकारियों द्वारा ज्ञात समस्याएँ

क्रम संख्या	समस्याएँ	अभिभावकों की संख्या (20)	प्रतिशत
1	प्रत्यक स्तर पर ईमानदारी व कर्मनिष्ठा की कमी	5	25
2	नामाँकन की सार्वभौमिकता का अभाव	2	10
3	अशिक्षित परिवार	4	20
4	अभिभावकों की शिक्षा में रूचि न होना	3	15
5	प्रौढ शिक्षा में कमी	2	10
6	शिक्षण विधियों का रूचिकर न होना	2	10
7	छात्र–शिक्षक अनुपात सही न होना	2	10

परिणाम– उर्पयुक्त तालिका का में शिक्षक और शैक्षिक अधिकारियों से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याओं के कारणों का विश्लेङ्घण किया गया जिससे ज्ञात होता है कि शिक्षक और शैक्षिक कारणों के अर्न्तगत अनुपयुक्त पाठ्यक्रम 20 प्रतिशत अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ, 25 प्रतिशत सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव, 15 प्रतिशत दोङ्घपूर्ण शिक्षा प्रणाली, 12.5 प्रतिशत कक्षा में अधिक छात्रों का होना, 7.5 प्रतिशत कक्षा के छात्रों की आयु में विङ्घमता बताया। आर्थिक कारणों के अर्न्तगत 27.5 प्रतिशत निर्धनता के कारण छात्रों के पास पुस्तकों व अन्य अध्ययन सामग्री की कमी, 30 प्रतिशत घरेलू कार्यों के कारण पढाई के लिए समय न मिल पाना तथा 42.5 प्रतिशत ने अनुकूल वातावरण न मिल पाना बताया। सामाजिक कारणों में 25 प्रतिशत अभिभावकों की निरक्षता, 20 प्रतिशत अभिभावकों का शिक्षा के महत्व को न समझना, 22.5 प्रतिशत अभिभावकों में जागरूकता की कमी, 10 प्रतिशत ने बाल विवाह का होना, 7.5 प्रतिशत ने सहशिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, 15 प्रतिशत ने सामाजिक रूढिवादिता को कारणों के रूप में बताया। प्रशासनिक कारणों में 25 प्रतिशत शिक्षकों ने राज्य की दोङ्घपूर्ण शिक्षा नीतियों, 22.5 प्रतिशत ने प्रारंभिक विद्यालयों में सुविधाओं की कमी, 32.5 प्रतिशत ने उचित निरीक्षण का अभाव तथा 20 प्रतिशत ने विद्यालयों की उपयुक्त स्थापना का न होना बताया। इसी संदर्भ में अधिकारियों की बात करें तो उनमें से 25 प्रतिशत ने प्रत्येक स्तर पर ईमानदारी व कर्मनिष्ठा की कमी, 10 प्रतिशत ने नामाँकन की सार्वभौमिकता का अभाव, 20 प्रतिशत ने परिवारों का अशिक्षित होना, 15 प्रतिशत अभिभावकों की शिक्षा में रूचि न होना, 10 प्रतिशत ने प्रौढ शिक्षा में कमी, 10 प्रतिशत ने शिक्षण विधियों का रूचिकर न होना तथा छात्र–शिक्षक अनुपात सही न होना बताया।

इस प्रकार से प्राप्त इन कारणों से स्पष्ट हो रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याओं के सभी कारणों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए जिससे शैक्षिक योजनाओं का लाभ मिल सकता है और इसी से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौतिकरण पूर्णरूप से किया जा सकता है।

उद्देश्य 3 – कारणों के समाधन हेतु उचित सुझााव देना।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शोधार्थी ने चयनित न्यादर्श से संबंधित लोगों से इन कारणों को दूर करने हेतु सुझााव प्राप्त किए जो निम्नानुसार हैं

1. कामकाजी छात्रों के लिए प्रातः कालीन/साँयकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
2. निर्धन छात्रों हेतु शिक्षा, भोजन, बस्त्र, पुस्तकें आदि को मुफ्त व्यवस्था दी जाए।
3. बालक एवं बालिकाओं पर विशेड्ड ध्यान देते हुए उन्हें विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
4. प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए।
5. निरीक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाकर सतत पर्यवेक्षण किया जाए।
6. छात्र, शिक्षक अनुपात संतुलित कर योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।
7. प्रारंभिक विद्यालयों में गुणवत्तापरका व उचित मात्रा में शिक्षण सामग्री तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाए।
8. प्रारंभिक विद्यालयों की वैज्ञानिक ढंग से स्थापना करते हुए शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यों से मुक्त रखते हुए रूचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग जाए।
9. योजना तथा वित्तीय साधनों में समानता लाते हुए वित्तोय संसाधनों में वृद्धि की जाए।
10. राज्य द्वारा शिक्षा नीति में सुधारकर प्रोत्साहन नीतियों को व्यापक स्तर पर लागू किया जाए।
11. शिक्षा की पाठ्यवस्तु बालकों के मानसिक विकास के अनुरूप हो और उसके मूल्याँकन प्रणाली में भी सुधार किया जाए।
12. सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था कर प्रारंभिक शिक्षा को औपचारिक व अनौपचारिक दोनों स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
13. शिक्षण सहायक सामगो के रूप में दृश्य–श्रव्य, संचार माध्यमों एवं पुस्तकालयों का अधिकतम प्रयोग किया जाए।
14. आर्थिक स्तर पर व्यवहारिक नीतियाँ लागू कर प्रत्येक स्तर पर ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।
15. बालिका विद्यालयों की स्थापना और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।

उद्देश्य 4 – प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में प्रोत्साहन योजनाओं को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु रूपरेखा तैयार करना।

परिणामः– इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु से शोधार्थी ने चयनित न्यादर्श से संबंधित लोगो से सुझाव प्राप्त किए, साथ ही अपने सुझावों को सम्मिलित करते हुए निम्न रूप से उन्हें लिपिबद्ध करने का प्रयास किया।

1. प्रोत्साहन योजनाओं में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों को बाद में औपचारिक प्रणाली में व्यवस्था होनो चाहिए। विद्यालय स्थापना हेतु पात्र एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता दी जाए। साथ ही दुर्गम क्षेत्रों के बालकों हेतु स्वैच्छिक एजेंसियाँ चलायी जाएँ।
2. ओपरेशन व्लैकबोर्ड योजना के लिए समस्त शैक्षिक संसाधनों की शत्–प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
3. जनशिक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से सतत शिक्षा केन्द्रों की जनशिक्षा और समूह शिक्षण हेतु रेडियो, दूरदर्शन और फिल्म आदि का उपयोग किया जाए।
4. जिला प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों व शैक्षिक संसाधनों की उपयुक्त व्यवस्था की जाए।
5. मध्याहन भेजन योजना हेतु समय–समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर योजना की गुणवत्ता की जाँच कर दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाए।
6. शिक्षा गारंटी योजना के सफल संचालन हेतु व्लॉक संसाधनों को सुदृढ , प्रारंभिक विद्यालयों में बढोतरी और प्रौढ शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षा के प्रति जागरुक किया जाए।
7. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रूचिकर पाठ्य सामग्री, पुस्तकालय एवं अन्य पठन–सामग्री की व्यवस्था और साथ ही महिलाओं की साक्षरता हेतु ग्राम सेविकाओं का नियुक्त किया जाए।
8. शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को पूरी तरह दृढता व ईमानदारी के साथ सख्ती से लागू कर इसका पालन किसा जाना चाहिए।

9. अपव्यय व अवरोधन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को रोजगारपरक, रूचिकर, सरल और सहज बनाया जाए।

शोध के शैक्षिक निहितार्थः

1. यह शोधकार्य मलिन बस्तियों की प्रारंभिक शिक्षा के प्रति सम्मान में शिक्षा की अनेक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होगा।
2. यह शोधकार्य मलिन बस्तियों में आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु पहल के लिए कारगर सिद्ध होगा।
3. इस शोधकार्य के माध्यम से मलिन बस्तियों के जीवन स्तर को सर्व विकास की मुख्य धारा से जोडा जा सकेगा।
4. यह शोधकार्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रति सरकारो और गैर–सरकारी प्रयास करने में सहायक सिद्ध होगा।
5. यह शोधकार्य शिक्षकों के व्यवहार, छात्र–छात्राओं की उपलब्धियों की स्थिति, दायित्व और उनके सुधार हेतु जागरुकता विकसित करेगा।

भावी शोध संभावनाएं

1. प्रस्तुत शोध एक जिले तक सीमित है जिसे अन्य जिलों, राज्यों तथा राष्ट्र स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध मलिन बस्तियों तथा प्रारंभिक शिक्षा का किया गया है जिसे अन्य क्षेत्रों तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर भी किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध प्रारंभिक शिक्षा पर किया गया है। भविष्य में मलिन बस्तियों की अन्य समस्याओं जैसे पेयजल, जल निकासी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, खेल का मैदान तथा सडक आदि का अध्ययन किया जा सकता है।
4. मलिन बस्तियों में रहने वाली महिला, पुरुष एवं अभिभावकों की शैक्षिक दशाओं, स्वास्थ्य, मानसिक विकास आदि का अध्ययन किया जा सकता है।
5. प्रस्तुत शोध प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्याओं का किया गया है। भविष्य में इन बस्तियों के अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा अभिभावकों की अभिव्यक्ति, चेतना तथा समायोजन आदि का अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ

बाजपेयी, एल. वो (1996) : शिक्षा के नवाचार एवं तकनीकी, लखनऊ आलोक प्रकाशन
गुप्ता, एस. पी (2010) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन
कपिल, एच. के (2012) : अनुसंधान विधियाँ, आगरा, एच.पी.भार्गव बुक हाउस।
योजना पत्रिका
भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका
भारतीय शिक्षक
नई दिशा
www.google.com
www.education.com
www.yahoo.com
www.rediffmail.com